



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2277]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937

No. 2277]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2015

(आयकर)

का.आ. 2859(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 2914 (अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की अनुसूची में,-

- (i) क्रम सं. 5 के सामने, कालम (2) में “चेन्नई” के स्थान पर “तमिलनाडु एवं पुडुचेरी” पढ़ें;
- (ii) क्रम सं. 8 के सामने, कालम (2) में “जयपुर” के स्थान पर “राजस्थान” पढ़ें;
- (iii) क्रम सं. 11 कालम (6) में, -

(क) लखनऊ से संबंधित प्रविष्टियों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर पढ़ें;

लखनऊ	उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र
	(i) लखनऊ

(ii)	बाराबंकी
(iii)	बस्ती
(iv)	फैजाबाद
(v)	गोंडा
(vi)	हरदोई
(vii)	जौनपुर
(viii)	प्रतापगढ़
(ix)	राय बरेली
(x)	छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (अमेठी)
(xi)	सुल्तानपुर
(xii)	सीतापुर
(xiii)	उन्नाव
(xiv)	लखीमपुर खीरी
(xv)	बरेली
(xvi)	पीलीभीत
(xvii)	बलरामपुर
(xviii)	बहराइच
(xix)	अम्बेडकर नगर
(xx)	पिथौरागढ़
(xxi)	उधम सिंह नगर
(xxii)	बागेश्वर
(xxiii)	नैनीताल
(xxiv)	अल्मोड़ा
(xxv)	चम्पावत
(xxvi)	शाहजहांपुर
(xxvii)	इलाहाबाद
(xxviii)	आजमगढ़
(xxix)	चंदौली
(xxx)	देवरिया

	(xxxi) फतेहपुर
	(xxxii) गाजीपुर
	(xxxiii) गोरखपुर
	(xxxiv) कोशाम्बी
	(xxxv) कुशीनगर
	(xxxvi) महाराजगंज
	(xxxvii) मउ
	(xxxviii) मिर्जापुर
	(xxxix) संत रविदास नगर
	(xl) सोनभद्रा
	(xli) वाराणसी
	(xlii) बलिया
	(xliii) मुरादाबाद
	(xliv) बिजनौर
	(xlv) ज्योतिबा फुले नगर अर्थात् अमरोहा
	(xlvi) रामपुर
	(xlvii) बदायूं
	(xlviii) संत कबीर नगर
	(xlix) सिद्धार्थ नगर
	(l) सरसवती
	(li) सम्बल

(ख) कानपुर से संबंधित प्रविष्टियों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर पढ़ें: -

कानपुर	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र :
	(i) बान्दा
	(ii) चित्रकूट

(iii)	हमीरपुर
(iv)	जालौन
(v)	रमाबाई नगर (कानपुर देहात)
(vi)	महोबा
(vii)	कन्नौज
(viii)	मेरठ
(ix)	बागपत
(x)	गाजियाबाद
(xi)	मुजफ्फरनगर
(xii)	हापुड़
(xiii)	आगरा
(xiv)	एटा
(xv)	अलीगढ़
(xvi)	औरैया
(xvii)	हाथरस
(xviii)	इटवा
(xix)	फरुखाबाद
(xx)	झांसी
(xxi)	ललितपुर
(xxii)	मथुरा
(xxiii)	फिरोजाबाद
(xxiv)	मेनपुरी
(xxv)	कांशीराम नगर
(xxvi)	गौतमबुद्ध नगर
(xxvii)	बुलन्द शहर
(xxviii)	चमोली
(xxix)	देहरादून
(xxx)	हरिद्वार
(xxxi)	पौड़ी
(xxxii)	रूद्रप्रयाग

(xxxiii)	सहारनपुर
(xxxiv)	टिहरी गढ़वाल
(xxxv)	उत्तर काशी
(xxxvi)	कानपुर
(xxxvii)	शामली

(iv) क्रम सं. 13 के सामने, कालम (2) में “पटना” के स्थान पर “बिहार और झारखंड” पढ़ें;

(v) क्रम सं. 14 के सामने, कालम (2) में “पुणे” के लिए “महाराष्ट्र” (मुम्बई को छोड़कर) पढ़ें;

[अधिसूचना सं. 82/2015/फा. सं. 187/37/2014-आ.क.नि.- I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक